भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

जून 2022

प्रतिरोध का स्वर

वर्ष 36
संख्या 6

मूल्य 5 रुपये

गहराते संकट के खिलाफ जनता के बढ़ते संघर्षों में भागीदारी करो तथा जन संघर्षों का विकास करो

अभूतपूर्व आर्थिक संकट देश के सामने मुंह बाये खड़ा है। साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था के गहराते संकट तथा मुख्य साम्राज्यवादी ताकतों के बीच उग्र होते अंतर्विरोधों ने पूरी दुनिया के सामने भयावह परिस्थिति पैदा कर दी है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का जिक्र आम हो गया है। नाटो के विस्तार के खिलाफ यूक्रेन पर रुसी हमले तथा अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों द्वारा रुस के खिलाफ लगाये गये अभूतपूर्व आर्थिक प्रतिबंधों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। विश्व व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साथ ही उन वस्तुओं के दामों में तीव्र वुद्धि हुई है जिनकी आपूर्ति में रुस की प्रमुख भूमिका है अथवा जिनके कीमतें रूस से आयातित सामान की कीमतों पर निर्भर करती हैं।

रूस एक सैन्य अतिमहाशक्ति होने के साथ-साथ प्राथमिक जिंसों के क्षेत्र की भी अतिमहाशक्ति है। रुस प्राकृतिक गैस तथा कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है; यूरोपीय देशों को कच्चे तेल तथा गैस का बड़ा हिस्सा रुस से आता है। विश्व बाजार में कच्चे तेल तथा गैस की कीमतें निर्धारित करने वाले संगठन ओपेक + का रुस महत्वपूर्ण घटक है। रुस पर लगे प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल तथा गैस की कीमतों में काफी तेजी आई है। मध्यपूर्व के देशों ने आपूर्ति में इस कमी को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता जाहिर की है। इसके तकनीकी कारण बताये जा रहे हैं पर इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि तेल उत्पादक देश अपनी एकता नहीं तोड़ना चाहते जिसका तेल से आय पर दूरगामी असर पड़ सकता है। कच्चे तेल के बढ़ते दामों से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं हालांकि भारत में पेट्रोल तथा डीजल के दामों में बड़ा हिस्सा सरकारी करों का है इसलिए कुछ हद तक इसकी भरपाई अतिरिक्त आबकारी कर में कटौती से की गई है। पेट्रोल तथा डीजल के बढ़े दामों से हर वस्तु के दाम बढ़ते हैं तथा इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ता है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतो का असर खेती पर भी पड़ता है क्योंकि खेती में डीजल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है तथा इससे खाद के दाम भी प्रभावित होते हैं। तेल के साथ-साथ रुस बहुत से खनिजों का भी प्रमुख निर्यातक है जिनका इस्तेमाल औद्योगिक उत्पाादन में होता है।

रुस दुनिया का सबसे बड़ा गेंहूं का निर्यातक है तथा दुनिया में गेंहूं तथा जौ के निर्यात में रुस तथा यूक्रेन का योगदान एक तिहाई है। पहले से भुखमरी तथा कुपोषण की शिकार गरीब देशों की जनता के सामने संकट और बढ़ गया है।

आर्थिक संकट उन देशों में और गहरा है जिन्होंने निर्यातोन्मुख विकास का मॉडल अपनाया है। भारत भी ऐसे देशों में शामिल हैं। उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक सम्पदा तथा मेहनती लोगों का देश होने के बावजूद शासकों ने साम्राज्यवाद परस्त तथा विदेशी पूंजी निवेश पर आधारित विकास का मार्ग अपनाया। भारत जो आयात करता है वे बेहद आवश्यक हैं जैसे कच्चा तेल,

(शेष पृष्ठ 4 पर)

नक्सलबाड़ी महान किसान विद्रोह की शुरुआत की 55वीं वर्षगांठ पर 25 मई को देश भर में कार्यक्रम किये गये। 25 मई 2022 को खम्मम (तेलंगाना) में एक रैली निकाली गई तथा जनसभा की गई। रैली में 1500 से अधिक लागों ने भाग लिया। यहां इस रैली का एक दृश्य।

सी.पी.आई. (एम-एल)-न्यू डेमोक्रेसी का आवाह्न

बुलडोजर राज और कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसाए जाने का विरोध करो फासीवादी शासकों के हमले के खिलाफ एकताबद्ध संघर्ष करो

जैसा कि फरवरी – मार्च 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद व्यापक रूप से अपेक्षित था, सत्तारूढ़ आरएसएस-बीजेपी ने सुरक्षा बलों के बूटों के तले सभी असंतोष को कुचलने के लिए अपने फासीवादी अभियान को तेज कर दिया है। आरएसएस-भाजपा ने सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत उत्तर प्रदेश को अपने हिंदुत्व फासीवाद की उन्नत प्रयोगशाला बना दिया है। देश के नागरिकों के एक तबके – मुसलमानों – के आर्थिक जीवन को बिगाड़ने और नष्ट करने के लिए इस अभियान को व्यापक बनाया गया है। यह हमला अब झूठे आरोपों में लोगों को जेलों में बंद करने, फायरिंग में हत्या सहित पुलिस की बर्बरता करने, लोकतांत्रिक अधिकारों के हर पहलू को नकारने तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये हमले जारी हैं और तेज किए गए हैं लेकिन अब इस दायरे में उनकी संपत्ति और आजीविका के साधनों को नष्ट करना भी शामिल कर दिया गया है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को आतंकित करना है। बुलडोजर फासीवादी शासकों के एक नए प्रतीक के रूप में उभरा है, जो इसके जरिये संविधान में निहित भारत की अवधारणा को ही कुचल रहे हैं। तीन काले कृषि कानूनों और बिजली विधेयक के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने बढ़ते फासीवादी शिकंजे के कुछ हिलाकर लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जो कुछ स्थान बनाया था उसे बंद करने के लिए आरएसएस-भाजपा सरकार अतिरिक्त मेहनत कर रही है। इस दरार की केवल मरम्मत ही नहीं की जा रही है, बल्कि उसे सीलबंद किया जा रहा है।

सत्तारूढ़ आरएसएस-भाजपा ने अपने सांप्रदायिक फासीवादी एजेंडे को चुनौती देने की हिम्मत करने वालों के आजीविका के साधनों और रहने के स्थानों को नष्ट करने को अपना अधिकार बताया है। यह सब अवैध निर्माणों को गिराने के नाम पर किया जा रहा है और आरएसएस-बीजेपी द्वारा संचालित प्रशासन तय करता है कि एक अवैध निर्माण क्या है। यह हमला असहमति के अधिकार को कुचलने के लिए है, चाहे वह संविधान में लिखा हो और देश के कानूनों द्वारा गारंटीकृत हो। कई शहरी गरीबों की आजीविका कमाने के साधन रेड़ी और रिक्शा को न केवल हटा जाता है बल्कि बुलडोजर द्वारा कुचला जाता है जैसा कि जहांगीरपुरी और दिल्ली में कई अन्य स्थानों पर हुआ है। नोटिस पीछे की तारीख डाल कर जारी किए जाते हैं और लक्षित व्यक्ति को कोई अवसर नहीं दिया जाता है। पीड़ितों को कार्रवाई के बारे में तब पता चलता है जब बुलडोजर उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए आते हैं। आजीविका और आश्रय के अधिकार को विरोध के अधिकार के प्रयोग से जोड़कर, फासीवादी शासन ने वर्तमान हमले को और आगे बढ़ा दिया है। आरएसएस-भाजपा शासित राज्यों में यह मुहिम महीनों से चलाई जा रही है।

जब भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मौहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणियां की और भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख नवीन जिंदल ने अपमान करने वाले ट्वीट किए, तो वे वही कर रहे थे जो वर्तमान सत्ताधारियों के कारिंदों की ओर से नियमित रूप से होता रहा है। यह हमला देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर तेज हो रहे हमलों की पृष्ठभूमि में आया है। इसने हमले के दायरे को भारत में मुसलमानों से आगे इस्लाम धर्म तक बढ़ा दिया। किंतु, इस हमले का कई मुस्लिम बहुल देशों विशेषकर पश्चिम एशिया के देशों ने विरोध किया। उनके विरोध ने अस्थिर अंतरराष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में सत्तारूढ़ सरकार को परेशान कर दिया और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कुछ सांकेतिक कार्रवाई की गई। लेकिन यह सत्तारूढ़ शासको में किसी सुधार का संकेत नहीं

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मुण्डका फैक्टरी में मजदूरों की मौत

औद्यौगिक दुर्घटनाओं में मौतों के लिये 'आप' सरकार जिम्मेदार है

राजेश

दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 20 लाख मजदूर काम करते हैं। इनमें महिला मजदूरों की संख्या काफी है। 8 से 12 घण्टे नियमित काम करना होता है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता है। अगर पुरुष कामगार को 12 घण्टे का 11 से 13 हजार रु. प्रतिमाह मिलता है तो उसी काम का एक महिला कामगार को 7000 रु. मिलता है।

दिल्ली सरकार बड़ी–बड़ी घोषणाएं करती है कि दिल्ली के मजदूरों को अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। पर सच्चाई यह है कि 5 प्रतिशत मजदूरों को ही घोषित न्यूनतम वेतन मिलता है। वह भी जहां संगठित मज़दूर हैं और अपने संघर्ष के द्वारा ही इसे हासिल किया हैं। 95 प्रतिशत मजदूरों को न्यूनतम मिलना नहीं मिलता।

दिल्ली सरकार का श्रम विभाग श्रम कानूनों को औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं करता व श्रम मशीनरी को पंगु बना दिया गया है। श्रम निरीक्षकों की संख्या बहुत कम है, जो हैं वो भी अपने कर्तव्य को भूल गए है। औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं जाते श्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण श्रम कानूनों की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में भीषण परिस्थितियों में मज़दूर काम करने को मजबूर हैं। प्रतिदिन किसी न किसी औद्योगिक क्षेत्र में किसी मज़दूर का हाथ पावर प्रेस से कट जाता है, कहीं बिजली के करंट से मौत हो जाती है तो कहीं आग लगने पर झुलस जाने से। फिर भी श्रम विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य स्थलों पर सुरक्षा प्रावधानों को लागू कराने की जिम्मेदारी श्रम विभाग के कारखाना निरीक्षक की होती है पर वे फैक्ट्रियों का निरीक्षण नहीं करते। पहले जिला श्रम कार्यालयों में निरीक्षक नियमित होते थे, पर अब वहां से हटा कर हेड ऑफ़िस में बुला लिये गये हैं। इनकी संख्या भी केवल तीन ही है।

आजकल नये तरह से इमारतों को बनाने का फैशन है। आज से 10–15 साल पहले जो इमारतें बनाई जाती थीं उनमें व इनमें बहुत अंतर है। पहले ईंट की दीवार पर सीमेंट का पलस्तर लगा कर पेंट किया जाता था। पर आज दीवारें तो ईंटों की होती हैं, लेकिन पलस्तर व पेंट की जगह लकड़ी की शीटों व फ़ाइबर की शीटों और अल्यूमीनियम की शीटों से कारखाने की दीवारों को ढक दिया जाता है। इससे खर्चा भी कम होता है और दूर से देखने में बहुत चमचमाती हुई इमारतें दिखाई देती हैं। ऐसा मुनाफाखोरी के लिये किया जाता है। यही मुनाफाखोरी आज दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की मौत की असली वजह है।

दिल्ली के मुण्डका क्षेत्र में 13 मई 2022 शाम को जिस कम्पनी के अन्दर आग लगने से 27 मजदूरों की जलकर मौत हुई उस बिल्डिंग की बनावट को देखा जाए तो बिल्डिंग की चारों दीवारें शाईनिंग के लिए फ़ाइबर की शीटों से ढ़की गई थी। जब आग लगी तो तब जल्दी से आग की लपटों ने बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया क्योंकि फ़ाइबर की शीटों से आग फैल गई। चारों ओर काला धुँआ फैल गया। मजदूर अन्दर बेहोश कर गिर गए और जलकर मर गए।

औद्योगिक क्षेत्रों में जब बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तब उससे संबंधित विभाग के अंदर हलचल शुरु होती है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर बवाना, करोल बाग, सब्जी मंडी, फिल्मिस्तान अनाज मंडी, शादीपुर आदि में आग लगने से बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत हुई हैं। मुण्डका दिल्ली का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां कम से कम 80 मजदूरों की मौत हुई है व 60 लापता हैं। कुछ मजदूरों के अंश मिले हैं मलबे से। किसी मज़दूर के पास कोई सबूत नहीं है कि वो इस फैक्टरी में काम करता था। किसी भी मज़दूर को नियुक्ति पत्र, पी.एफ., ई.एस.आई. आदि नहीं मिलता था।

दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी हजारों फैक्ट्रियां गैर कानूनी ढंग से चल रही हैं। जहां पर मौत होना आम बात है। श्रम विभाग और कारखाना निरीक्षक की जिम्मेदारी होती है श्रम कानूनों को कारखानों में लागू कराने की, लेकिन श्रम मशीनरी विफल है। श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है।

मोदी सरकार 44 श्रम कानूनों को खत्म कर चार लेबर कोड लागू करने जा रही है। ये 4 लेबर कोड सिर्फ प्रबंधकों को फायदा देंगे। मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इनमें सुरक्षा प्रावधानों को तो खत्म ही किया जा रहा है। प्रबंधक यदि कहता है कि उसने सभी सुरक्षा उपाय किये हैं तो निरीक्षण की जरूरत नहीं होगी। पहले ही बायलर में इस ढ़ील का परिणाम अनेक दुर्घटनाओं में देखा जा चुका है। दिल्ली सरकार भी इन कोडों का विरोध करने की जगह, इन कोडों के तहत नियम बनाने की कवायद में लगी है। इसने निरीक्षकों की संख्या बहुत कम कर दी है। इतने मजदूरों की मौत के बाद भी दिल्ली के श्रम मंत्री ने कोई कदम नहीं उठाया। मालिकों को जेल भेजे जाने की बात भी दिल्ली सरकार कोर्ट में नहीं उठाती है।

मुंडका फैक्ट्री में आग लगने पर उठता धुंआ

इंडियन फैडरेशन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स दिल्ली में औद्योगिक दुर्घटनाओं में घायल व मौत के सवालों को लेकर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर 2015 से एक अभियान चला रही है कि कार्य स्थलों पर सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए। प्रबंधक के खिलाफ औद्योगिक दुर्घटनाओं में स्थानीय थानों में धारा 304 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए व श्रम विभाग इसे आगे लड़े। पुलिस पहले आई.पी.सी. की धारा 287 और. 304ए के तहत के एफ.आई.आर. दर्ज करती थी। प्रबंधक को शाम को स्थानीय थानों से जमानत मिल जाती थी। लेकिन मुण्डका अग्निकांड में प्रबंधक के खिलाफ पहली बार 304, 337, 120बी,, 34 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। धारा 304 के तहत 10 साल की सजा है। दोनों प्रबंधक अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। और यह इफ्टू के नेतृत्व में लम्बे संघर्ष द्वारा ही सम्भव हुआ है। यह मज़दूर आंदोलन के संघर्ष की जीत है। यह गेट की लड़ाई व सड़क की लड़ाई के द्वारा ही सम्भव हुआ है। यह मांग उठाने वाली इफ्टू ही एकमात्र यूनियन रही है।

दिल्ली की ट्रेड यूनियनों की मांग है कि दिल्ली के श्रम मंत्री को हटाया जाए। मुण्डका काण्ड के दो दिन बाद ही आग की और घटनाएं सामने आईं व एक मजदूर मारा गया। मुण्डका के मजदूरों के परिवार डी.एन.ए. जांच के लिये धक्के खा रहें हैं पर श्रम मंत्री को उनकी सुध लेने की फुरसत नहीं है। हम दिल्ली के मजदूरों से आह्वान करते हैं कि संगठित होकर संघर्ष को विकसित करें, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करवाएं, कारखाना निरीक्षकों को स्थानीय श्रम विभाग कार्यालयों में नियुक्त करवाएं, भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करवाएं और दिल्ली सरकार प्रबंधकों को सेशन कोर्ट में सजा दिलाएं।

जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते ट्रेड यूतियन कार्यकर्ता

श्रीलंका : धरनास्थल पर हमले का व्यापक विरोध

शासकों द्वारा श्रीलंका को आर्थिक पतन में धकेलने के खिलाफ वहां जनता का व्यापक विरोध सामने आया है। पुलिस तथा सेना के दमन के बावजूद जनता का यह विक्षोभ लगातार जारी है। इसका एक प्रतीक राजधानी कोलम्बो में गाली फेस ग्रीन पर जारी एक जन धरना है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भगीदारी कर रहे हैं। विभिन्न विचारधाराओं के लोग तथा जनता की बदहाली के हल पर भिन्न-भिन्न साय रखने वाले लोग इस धरने में भाग ले रहे हैं। इस धरने की मुख्य मांग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा है। इसका मुख्य नारा है "गोटा गो होम"।

9 मई 2022 को राष्ट्रपति के बड़े भाई, पूर्व राष्ट्रपति तथा निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने समर्थको को गोलबंद कर धरने पर हमला कराया। हमला प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने से शुरु हुआ जिसे दंगाईयों ने क्षत-विक्षत कर दिया। इसके बाद दंगाई गाली फेस ग्रीन पहुंचे तथा धरने को उखड़ना तथा वहां मौजूद लोगों पर हमला किया जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। धरने के समर्थन में व्यापक जनसमूह जमा हुआ। ऊपर दिया गया फोटो 9 मई के हमले के विरोध में जमा लोगों का है। राजपक्षे समर्थकों के इस हमले की प्रतिक्रिया में राजपक्षे परिवार की सम्पत्तियों पर हमले किये गये तथा महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

खाद्यान्न सुरक्षा कारपोरेट हवालेः महंगे गेहूं की किसानों से लूटः जनता का आटा गीला

अनिल दुबे

विदेश यात्रा से लौटने के बाद अप्रैल 2022 के पहले पखवाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ''दुनिया खाद्यान्न संकट का सामना कर रही है। दुनिया का खाद्यान्न भंडार खाली होता जा रहा है। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहा था, उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया। मैंने सुझाव दिया कि यदि डब्ल्यूटीओ अनुमति देता है तो भारत कल से ही दुनिया को खाद्यान्नों की आपूर्ति शुरू करने को तैयार है। भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है, लेकिन लगता है कि देश के किसानों ने दुनिया को खिलाने की भी व्यवस्था कर ली है''। 13 मई 2022 की शाम को सब कुछ बदल गया! निर्यात के बड़े–बड़े दावे और दुनिया को भोजन कराने के बड़बोलेपन की हवा निकल गई! गेहूं का 25–30% कम उत्पादन और सरकारी खरीद के लक्ष्य का लगभग 40% ही हो पाने के बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। गेहूं की कमी और खाद्यान्न संकट को देखते हुए सरकार ने चावल को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया और चीनी, दालों व अन्य खाद्यान्नों का निर्यात भी रोक दिया। इस वक्त देश का अधिकांश गेहूं छोटे व्यापारियों के पास से होता हुआ अदानी जैसी बड़ी कारपोरेट कंपनियों के बड़े खाद्यान्न भंडारों में पहुंच चुका है।

रूस–यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने और मार्च माह के पहले सप्ताह से ही मौसम के गर्म हो जाने के बाद कृषि की थोड़ी समझ रखने वाले लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 20 से 30% कम होगा, लेकिन सरकार में बैठे मंत्री, नौकरशाह और कृषि वैज्ञानिक अंजान बने रहे। ज्ञात हो कि गेहूं के पौधों के दाने फरवरी–मार्च में ही मोटे होते हैं। इस समय ज्यादा गर्मी दानों को पतला कर देती है। इसके बावजूद मार्च से ही कारपोरेट मीडिया गेहूं के बंपर उत्पादन के दावे कर रहा था और सरकार के पिछले वर्ष के 70 लाख टन निर्यात के मुकाबले इस बार 1.25 करोड़ टन के लक्ष्य का बाजा बजाने में लगा रहा। दरअसल गेहूं का सवाल सीधे–सीधे गरीब की थाली की रोटी से जुड़ा है और बीते 12 वर्षों में आटे की कीमतों में भारी उछाल आया है, जबकि अभी गेहूं का मौसम है। खुदरा बाजार में आटे की कीमतों में बीते चार वर्षों की तुलना में 42% की वृद्धि हुई है और आटे की कीमतें अभी 35 से 45 रूपए प्रति किलो हो गई है।

युद्ध के कारण विश्व बाजार में गेहूं की कीमत 4500 रूपए प्रति क्विंटल के आसपास रहने के बावजूद किसान विरोधी आरएसएस–भाजपा की मोदी सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल ही रखी। व्यापारियों ने पंजाब, हरियाणा जहां मंडी खरीद सिस्टम है शुरुआत में एमएसपी दर से सौ–दो सौ रूपए ज्यादा कीमत देकर बड़े पैमाने पर खरीद की। इससे मंडियों में अनाज पहुंचा ही नहीं और सरकार का 444 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य अधर में लटक गया। सरकार ने यदि उपयुक्त बोनस के तौर पर दे दिया होता तो वह लक्ष्य से अधिक खरीद कर लेती। साथ ही पीडीएस भंडारण के साथ कुछ निर्यात कर बोनस के तौर पर दी गई रकम भी शायद वसूल कर सकती थी। गेहूं का अधिक भाव किसानों को ना मिले और निजी क्षेत्र सस्ते में खरीद कर सके इसके लिए निर्यात पर रोक लगाने के अलावा और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में व्यापारी एमएसपी से कम 1800 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर रहे हैं। छोटे व्यापारी कारपोरेट कंपनियों की तरफ से खरीद करते हैं। इसलिए अदानी जैसी बड़ी कंपनियों के गोदामों में अब गेहूं पहुंच रहा है।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है और कुल उत्पादन का लगभग 34% उत्पादन करता है। कुछ वर्ष पूर्व तक पंजाब दूसरा बड़ा उत्पादक था, लेकिन बीते वर्षों में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब व हरियाणा आदि राज्य हैं। मई माह के अंतिम दिन तक देश भर में गेहूं की 183.27 लाख टन कुल सरकारी खरीद हुई है, जिसमें पंजाब से 96 लाख टन, हरियाणा से 40 और मध्य प्रदेश से 43 लाख टन की खरीद हुई लेकिन उत्तर प्रदेश से 2.73 लाख टन की ही खरीद हुई। 'सेंट्रल फूड ग्रेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल' के अनुसार पंजाब और हरियाणा आदि सभी जगह सरकारी खरीद बंद हो चुकी है। यूपी, बिहार, राजस्थान आदि गेहूं उत्पादक राज्यों में अभी भी फसल का बड़ा हिस्सा किसानों के पास है, जिसे गांव–गांव घूमने वाले छोटे व्यापारी 1800 रूपए की दर से खरीद कर बड़े व्यापारियों व कारपोरेट कंपनियों को पहुंचा रहे हैं।

अचानक बढ़े तापमान से देश व दुनिया में गेहूं उत्पादन घटने का आंकलन करते हुए सरकार को जो एहतियात बरतनी चाहिए थी ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि यह उसकी मंशा भी नहीं थी। सरकार यदि देश की खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर चिंतित होती तो किसानों को बोनस देती। गेहूं पर बोनस की मांग एआईकेएमएस सहित कई किसान संगठनों ने की थी और छिटपुट प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन तब ''डिक्टेटर'' दुनिया को खाना खिलाने के अहंकारी ऐलान पर आत्ममुग्ध था। अब वही आत्ममुग्धता डर में तब्दील हो गई है और गन्ना व चीनी का भारी उत्पादन और भंडारण होने के बावजूद निर्यात पर रोक लगा दी गई है। दालों व चावल को भी प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है।

सरकारी खरीद एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार गेहूं की बिक्री करने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी यूपी के किसान मंडी गये ही नहीं। मंडियों में गेहूं बेचने के लिए लाखों किसानों ने मार्च में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन मंडियों में कुछ ही किसान गेहूं बेचने पहुंचे। उदाहरण के तौर पर बिहार में मात्र 982 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई। सरकार ने निर्यात पर भले ही रोक लगा दी हो लेकिन अभी भी निर्यात की बात उठ रही है क्योंकि यदि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी तो निजी क्षेत्र द्वारा किए गए भंडारण का क्या होगा? देश में खाद्यान्न संकट बढ़ने पर ही वह अच्छे खासे मुनाफे पर गेहूं बाजार में देगा जिससे बेतहाशा बढ़ रही महंगाई में और वृद्धि होगी और पहले से ही भुखमरी व कुपोषण की शिकार जनता की स्थिति और भयावह हो जाएगी।

वैश्विक खाद्यान्न संकट केवल मौजूदा परिस्थितियों की देन नहीं है बल्कि भूमि और कृषि की कारपोरेट लूट और गन्ना, मक्का, चावल से पेट्रोलियम पदार्थों का विकल्प इथेनॉल तैयार करने की अमेरिका, कनाडा, ब्राजील आदि देशों की नीति का भी परिणाम है। अमेरिका आदि देशों में किसानों को इसलिए सब्सिडी दी जाती है कि वह खेती ना करें। इसके विपरीत कारपोरेट को अधिक मुनाफा दिलाने के लिए भारत में सरकारें यह चाहती रही हैं कि किसान कंपनियों के महंगे बीज, उर्वरक, ऊर्जा और कृषि उपकरणों से अधिक लागत लगाकर खेती करें और सस्ते में अपनी फसलों को बेचें। यही कारण है कि वैश्विक गेहूं संकट में जब रेट बढ़े तो सरकार खुद खरीद करने से पीछे हट गई और निर्यात पर भी रोक लगा दी, जिससे गेहूं का बाजार निजी क्षेत्र के लिए खुल गया। वैसे भी भारत में दशकों से शासक वर्गों की सभी पार्टियां सत्ता में आने के बाद किसानों से जमीन हथियाने के लिए खोती के कारपोरेटाइजेशन की नीति पर चलती रही हैं।

दुनिया में और अब देश में गहराता खाद्यान्न संकट कृषि क्षेत्र की उपेक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण व कारपोरेट लूट का परिणाम है। इसमें रूस–यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक मौसम गर्म होने का तात्कालिक योगदान भी है। वहीं भूख का सवाल भारत, पकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों की दशकों पुरानी नियति है। गेहूं की कम पैदावार और बीते वर्ष 10 लाख टन धान का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में करने की शुरुआत कर भारत भी खाद्यान्न संकट को आमंत्रण दे रहा है।

देश में एक दशक से सरकारें बंपर खाद्यान्न उत्पादन का दावा करती रही हैं, लेकिन इसी के साथ वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का ग्राफ कुपोषित देशों की सूची में ऊपर चढ़ता जा रहा है। फैमिली हेल्थ सर्वे एनएचएचएस–5 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में खून की कमी –एनीमिया से ग्रस्त बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। 2015–16 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर 6 से 59 माह की उम्र के 58.6% बच्चे एनिमिक थे। वहीं 2019–21 के दरमियान यह बढ़कर 67.1 प्रतिशत हो गया है। सर्वाधिक वृद्धि पीएम मोदी के गुजरात में हुई है जहां 80% बच्चे एनीमिक पाए गए हैं। केरल में सबसे कम 39% बच्चे एनीमिक मिले हैं। उत्तर प्रदेश में 66.4%, बिहार में 69.4%, झारखंड में 67.5%, ओडिशा में 64.2%, मध्य प्रदेश में 72.7% और दिल्ली में 69.2 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं। सर्वे के अनुसार एनीमिक होने की बड़ी वजह मां व शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार ना मिलना है। बीते 5 वर्षों में एनीमिया ग्रसित बच्चों में राष्ट्रीय स्तर पर 9% की वृद्धि बताती है कि हालात पहले से बहुत बदतर हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019–21 के दौरान शहरों में 64.2% और गांव में 68.3% बच्चे खून की कमी से ग्रस्त हैं। रक्त में आवश्यक 11 प्रतिशत स्टैंडर्ड हिमोग्लोबिन की मात्रा से कम मात्रा पाई गई है।

देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता हाल के वर्षों में 490 ग्राम प्रतिदिन रही है। बीते वर्ष हंगर इंडेक्स में भारत 94 वें स्थान से गिरकर 101 वें स्थान पर पहुंच गया है। खाद्यान्न उत्पादन भी दरअसल बीते एक दशक में 1% कम या ज्यादा के ग्राफ पर ही घूम रहा है जबकि आबादी बढ़ी है। 2020–21 में 30.50 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान था जो इस वर्ष 31.60 करोड़ टन है। गेहूं उत्पादन अनुमान 11.10 करोड़ टन होने और 444 लाख तक की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब इस लक्ष्य को घटाकर 195 लाख टन कर दिया गया, लेकिन संशोधित लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका है। आम तौर पर गेहूं की खरीद 15 जून तक होती है और अभी तक 180 लाख टन की ही खरीद हो सकी है।

जिस दिन 13 मई को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया थे उसके 1 दिन पूर्व सवा करोड़ टन गेहूं निर्यात के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें केंद्रीय वाणिज्य, शिपिंग और रेल मंत्रालय के अलावा गेहूं निर्यात करने वाले व्यापारियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। एपीडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सीरिया, लेबनान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, मोरक्को, ट्यूनीशिया और तुर्की में गेहूं बेचने के लिए जाने वाला था। किसान संगठनों का अनुमान है कि गेहूं के उत्पादन में 25 से 30% की कमी आई है लेकिन केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि यह कमी 6% के आसपास है। इसी समय बाजार में आम आदमी का आटा अभी से गीला होने लगा है।

एक नजर में देश की मौजूदा खाद्यान्न जरूरतों को देखा जाना चाहिए। लगभग 140 करोड़ की आबादी में सभी के भोजन की बात ना करें तो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष 260 लाख टन गेहूं की जरूरत होती है। बफर स्टॉक मानकों के तहत 1 अप्रैल को 75 लाख टन गेहूं का भंडार होना चाहिए, जो इससे अधिक है। केंद्रीय पूल में इस समय गेहूं का स्टाक 189 लाख टन था, लेकिन यह 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। अगले 6 महीनों में प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न योजना के लिए 109.28 टन खाद्यान्न चाहिए। इन तीनों आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस वर्ष देश की खाद्यान्न जरूरत के लिए 445 लाख टन गेहूं की जरूरत है। पुराना स्टाक और संशोधित खरीद लक्ष्य को मिला दें तो सरकार के पास 385 लाख टन से कम भंडार रहेगा।

गेहूं का सर्वाधिक भंडारण आज निजी क्षेत्र के पास है और इतना तय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए यदि गेहूं की कमी पड़ी जिसकी पूरी संभावना है तो निजी क्षेत्र सरकार को गेहूं नहीं बेचेगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव अगले महीनों में किस पायदान पर होगा इसका आकलन करना मुश्किल है। देश के निजी क्षेत्र की नीयत का यह भी उदाहरण है कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के समय वर्ष 2006 में भी गेहूं का संकट देश में खड़ा हुआ था। उस वर्ष सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित

(शेष पृष्ठ 6 पर)

उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक एजेंडे के तहत दमन और तेज किया जा रहा है

अनिल दुबे

गंभीर आर्थिक संकट, बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के स्तर पर पहुंच रहे कुपोषण के बावजूद कारपोरेट की और मुनाफा बढ़ाने की हवस को पूरा करने के लिए शासक वर्गों की पसंद अभी भी आरएसएस– भाजपा सरकार है। संकटों से निपटने में विफल और समस्याओं पर नियंत्रण खोते जाने के कारण संघ–भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अब अपराधियों और लंपटों जैसा व्यवहार करने लगी हैं। शासक वर्गों द्वारा अपने लिए बनाए गए लोकतांत्रिक ढांचों और संस्थाओं को भ्रष्ट कर उनका इस्तेमाल अपने सांप्रदायिक एजेंडे के लिए कर रही हैं और इस प्रक्रिया में न्यूनतम नैतिकता का आडंबर भी करते हुए नहीं दिखना चाहतीं। रूस–यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक कारणों के अलावा घरेलू कुप्रबंधनों से सकंट गहरा रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्यों खासतौर पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सरकारें अपराधिक गिरोहों की तरह काम कर रही हैं और अल्पसंख्यकों व दलितों के खिलाफ सांप्रदायिक और जातीय नफरत का माहौल बना रही हैं।

बाबा का बुलडोजर, मध्यप्रदेश में मामा का बुलडोजर, ठोंक दो, गर्मी निकाल दूंगा जैसे शब्द संसदीय मर्यादा और आचरण में अपना लिए गए हैं। फासीवाद अब और स्परूट रुप से जनता के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अपने विरोधियों और अल्पसंख्यकों को वह किसी गैस चेंबर में भले ही ना डाल रहा हो, लेकिन उन्हें सामाजिक रूप से डराने, अपमानित करने और आर्थिक रूप से उन्हें दयनीय बना देने के लिए उनके जीवनयापन के स्रोतों पर हमले कर रहा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 'ठोको नीति' के तहत बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर किए गए जिसमें अल्पसंख्यक व दलित समुदाय के छोटे–मोटे अपराधी ही ज्यादा थे। उसी समय इंस्टेंट जस्टिस (त्वरित न्याय) नीति को संसद से लेकर विधानसभा व सड़कों तक स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसीदे काढ़े और शमशान–कब्रिस्तान से आगे बढ़ विरोध करने वालों को कपड़ों से पहचानने लगे। योगी सरकार अपने विरोधियों को बिना अदालती कार्यवाही के सख्त सजा देने और अपमानित करने के लिए चौराहों पर पोस्टर लगाने, विरोध प्रदर्शनों में होने वाली नुकसान की भरपाई आरोपियों से करने के अलावा उनके दुकानों, घरों और रोजगार के स्थलों पर बुलडोजर चलवा रही है।

मथुरा, काशी, कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर जिस तरह की नफरत भरे और इतिहास से परे मिथकों पर सरकार के नेता और मंत्री कारपोरेट मीडिया पर बकवास कर रहे थे अब उसका व्यापक असर देश में दिखाई देने लगा है। दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, रांची, हावड़ा सहित दर्जन भर शहरों में अल्पसंख्यकों के प्रदर्शन हो रहे हैं अथवा उन्हें उग्र बनाया जा रहा है ताकि भाजपा–आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे के तहत व्यापक हिंदू ध्रुवीकरण किया जा सके। बहुसंख्यक समुदाय का सांप्रदायीकरण तेज किया जा रहा है और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को भी पोषित किया जा रहा है जिसके संघ–भाजपा के साथ रिश्तों के सुबूत भी मिलते रहे हैं। यह स्थिति देश को खतरनाक दिशा में ले जा रही है। हालांकि सांप्रदायिक उन्माद का यह दौर भले ही जनता के आक्रोश को शासकों और कारपोरेट के खिलाफ एकजुट होने से रोक रहा हो, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं बनाई रखी जा सकेगी क्योंकि लोगों का संकट दिनोंदिन गहरा रहा है।

काशी के ज्ञानवापी मामले में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ विश्व भर में प्रतिक्रिया हुई है जिसने मोदी सरकार को दुनिया में कूटनीतिक मंच पर अलग–थलग कर दिया है। मुसलमानों ने देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए हैं। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस ने उसे सुरक्षा प्रदान कर रखी है। उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए साधु से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदर्शनकारियों की व्यापक गिरफ्तारियां और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है।

यही नहीं सीएए–एनआरसी आंदोलन में सक्रिय रहे लोगों को भी चिन्हित कर प्रताड़ित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद में एआईकेएमएस महासचिव आशीष मित्तल को भी कथित हिंसक प्रदर्शन में आरोपी बनाया गया है। माब लिंचिंग की तरह बुलडोजर संस्कृति भी लंपटों की भीड़ का राज है, जो आरोपी को अदालत में अपराध सिद्ध हुए बिना तत्काल न्याय देने में विश्वास रखती है। अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक लंपट राज को शासक वर्गों की दूसरी पार्टियां भी अपनाने में लगी हैं। तेलंगाना में हुए रेप कांड में केसीआर की पुलिस ने चार युवाओं को फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया। बाद में हुई जांच में यह एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ।

पिछली सरकारों में राजनीति के अपराधीकरण पर चर्चा होती थी, लेकिन अब अपराधी ही सत्ता में बैठे हैं और शासन, सत्ता और कानून की खामियों का इस्तेमाल करते हुए समाज के लंपटीकरण में लगे हैं। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों ने देश के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पूर्व मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों के हनन के मामले को लेकर बीते वर्षो में रिटायर हो चुके नौकरशाहों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों, न्यायाधीशों ने नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिखकर अपना असंतोष जताया है। इससे यह साबित होता है कि देश के शीर्ष बुद्धिजीवियों में क्षोभ है, लेकिन मौजूदा न्यायपालिका, नौकरशाही और जांच एजेंसियों के एक बड़े हिस्से का सांप्रदायिकरण किया जा चुका है अथवा भ्रष्ट तरीकों से उनका इस्तेमाल अपने पक्ष में करने में सरकार कामयाब हो रही है।

इलाहाबाद के उग्र प्रदर्शन में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और पंप की दुकान चलाने वाले जावेद मोहम्मद को अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार किया गया जबकि प्रथम दृष्टया उन पर आरोप नहीं है। सीएए–एनआरसी आंदोलन में वह एक्टिविस्ट रहे हैं। उनके घर को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया हालांकि यह घर उनके नाम नहीं बल्कि उनके पत्नी के नाम था। अवैध अतिक्रमण के नाम पर 12 घंटे में गिराए गए इस घर से इतर देखा जाए तो सरकारी भ्रष्टाचार के कारण इलाहाबाद ही नहीं पूरे देश में 90 प्रतिशत लोगों के घर बिना नक्शे के या नक्शा होने के बावजूद कुछ बदलावों के साथ बनाए जाते हैं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर बुलडोजर को रोकने, बिना वैधानिक प्रक्रिया के घरों को न गिराने और जावेद के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही अपने पत्र को ही याचिका के रूप में स्वीकार कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, लेकिन माननीय न्यायधीशों ने उसे अस्वीकार कर दिया और सीधे याचिका डालने को कहा।

दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद कई मुहल्लों में चले बुलडोजर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। इसके पूर्व वह शाहीन बाग में बुलडोजर चलने पर दखल देते हुए उसने यथास्थिति बनाए रखने और बाद में सुनवाई का निर्देश दे चुका था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं भी सरकारों के मिजाज पर काम करने लगी हैं। लंपट सरकार के साथ अब इन संस्थाओं के लिए डील करना आसान नहीं रह गया है।

पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियां अनायास नहीं नहीं हैं बल्कि यह साजिशन किया गया ताकि मुसलमानों को भड़काया जा सके। उनके अंदर भी आरएसएस की तरह ही कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हैं, जो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं। यह सारा षड्यंत्र जनता का ध्यान बुनियादी सवालों और संघर्षों से बांटने के लिए है ताकि सीमित दायरे में हिंसा भड़का कर बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न व दमन कर उन्हें डराया और दबाया जा सके। उनके जीविका के साधनों को नष्ट कर उन्हें और भयानक गरीबी व दयनीय स्थिति में धकेला जा सके।

इसका एक पहलू और भी है जो जहांगीरपुरी में देखा गया कि मुसलमानों की दुकानों, रेहड़ी व खोमचों पर चले बुलडोजरों ने अनेकों गैर–मुसलमानों के घरों, झुग्गियों, खोमचों को भी ध्वस्त किया। यह दृश्य मध्यप्रदेश के भोपाल, यूपी के नॉएडा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर आदि शहरों में भी देखा गया है। आरोपियों मुख्यतः मुस्लिमों के खिलाफ अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर चले बुलडोजरों ने यूपी के अधिकांश शहरों में व्यापक तोड़फोड़ की जिसमें गरीब हिंदू आबादी भी शामिल है। दिल्ली और एनसीआर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। इसका एक मकसद साफ है कि मुसलमानों के नाम पर चले बुलडोजर बड़े पैमाने पर गरीबों के घरों व जीविका के साधनों पर चले हैं। दरअसल सरकार शहरों से गरीबों को हटाना चाहती है। उनके झुग्गी, झोपड़ी, रेहड़ी, खोमचा व छोटे मोटे कारोबार के स्थलों को बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। पहले अतिक्रमण के नाम पर उनके सामान उठा लिए जाते थे लेकिन अब उन्हें बुलडोजरों से क्रश किया जाता है व उनके कारोबार के नामो–निशान तक मिटा दिए जाते हैं।

आरएसएस और भाजपा सरकारें अपने फासिस्ट एजेंडे के लिए देश को गंभीर अराजकता की ओर धकेलना चाहती है। बेतहाशा बढ़ रही बेरोजगारी, छोटे उद्योगों के खात्मे, संकटों से ग्रस्त कृषि और ग्रामीण बेरोजगारी के कारण सामाजिक और आर्थिक असंतोष बढ़ रहा है और यही स्थितियां फासिस्ट तानाशाही के लिए अनुकूल होती हैं, लेकिन दूसरी ओर किसान, मजदूर, युवा, दलित और अल्पसंख्यकों की व्यापक एकजुटता और प्रतिरोध शासकों के पांव भी उखाड़ सकते है।

जनता के बढ़ते संघर्षों में भागीदारी करो

(पृष्ठ 1 का शेष)

दालें, खाद्य तेल आदि तथा भारत का व्यापार संतुलन पहले से ही नकारात्कम जो व्यापार में बाधाओं के चलते काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

युद्ध ने इस संकट को केवल तीव्र किया है जबकि यह संकट कुछ समय से लगातार गहरा हो रहा है। पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में कोरोना काल में मुद्रा के विस्तार अर्थात अधिक नोट छापने की भी भूमिका है। भारत में सबसे बड़ी भूमिका सरकार की कारपोरेट परस्त नीतियों की है। कोरोना काल में सरकार ने ज्यादा खर्च नहीं किया तथा कारपोरेट परस्त मीडिया के सहयोग से अपनी अपराधिक लपरवाही को उजागर भी नहीं होने दिया। आर.एस.एस.–भाजपा सरकार ने कारपोरेट परस्त नीतियों को बहुत तेज किया है। अडानी तथा अम्बानी की सम्पत्तियों में तेज वृद्धि इसका प्रतकि भर है सम्पत्ति विदेशी व घरेलू सभी कारपोरेट की बढ़ी है। दूसरी ओर जनता की क्रय शक्ति कमजोर बनी हुई है तथा सरकार ने इसे बढ़ाने का कोई उपाय नहीं किया उल्टे सरकार की नीतियां इसको लगातार कमजोर करने की ओर हैं। घरेलू बाजार बढ़ाया नहीं तथा विदेशी बाजार की स्थिति और खराब हुई है। औद्योगिक उत्पादन का सकल घरेलू डत्पाद में हिस्सा लगातार घटा है तथा साम्राज्यवाद पर निर्भरता खत्म कर औद्योगिक विकास करने की नीति ही नहीं है। खेती ठहरावग्रस्त है तथा सरकार के पास इसका एकमात्र उपाय कारपोरेटीकरण है जिसके एक हमले को किसानों ने हाल में परास्त किया। सरकार द्वारा कारपोरेट को दी जा रही रियायतें इस बात का सबूत हैं कि धन का अभाव केवल बहाना है दरअसल सरकार जनता के खिलाफ है।

देश में जहां एक ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतो में तेजी से जनता बदहाल है वहीं बेरोजगारी की समस्या दिनोदिन भयावह रुप ले रही है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ रही है तथा रोजगार के अवसरों के अभाव में उद्वेलित है। सरकार इस भयावह परिस्थिति से वाकिफ है इसलिए एक ओर साम्प्रदायिक मुहिम तेज कर रही है वहीं दमन के औजार और पैने कर रही है। लेकिन लगातार गहराते संकट तथा जनता में बढ़ते असंतोष के दरिया के सामने ये तिनके ही साबित होंगे। जरुरत पूरी ताकत के साथ जन संघर्षों के विकास तथा उनमें भागीदारी करने की है।

पंजाब : पंचायती जमीन पर अधिकार व मजदूरी के लिए आंदोलन की सफलता

जातीय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जमीन के साथ जोड़ते हुए पंजाब में भूमिहीन दलितों का लगभग एक दशक से चल रहा आंदोलन देश में वर्ग संघर्ष का बड़ा जीवंत माडल है। पंजाब के संगरूर, बरनाला, पटियाला और मानसा जिले के 100 से अधिक गांवों के दलितों को पंचायत की 33% जमीन की लीज के लिए प्रतिवर्ष मानसून आने के पहले महीनों में संघर्ष करना पड़ता है। जमीन का यह टुकड़ा दलितों के लिए मात्र एक टुकड़ा नहीं बल्कि जमींदारों के उत्पीड़न व जातीय शोषण से मुक्ति और खुद के सम्मान की रक्षा का सशक्त प्रतिरोध है। जमीन के एक टुकड़े पर अधिकार होने से दलित परिवारों की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित होता है, क्योंकि कृषि कार्य व पशुओं के चारे के लिए उन्हें जमींदारों के खेतों में नहीं जाना पड़ता और वह अपमानित होने से बच पाती हैं। इस वर्ष फिर संगरूर और आसपास के जिलों के गांवों में भूमिहीन दलितों का जमींदारों द्वारा जमीन की डमी बोली में शामिल होने से रोकने, मजदूरी दर तय करने, कृषि और आवास हेतु जमीन के स्थाई पट्टे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन सुर्खियों में है, जबकि आप पार्टी सरकार ने साबित कर दिया है कि वह भी पिछली सरकारों की तरह जमींदारों के पक्ष में है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर कई दिनों तक हुए धरना प्रदर्शनों के बाद सरकार को पंचायती जमीन पर 3 वर्ष का पट्टा देने को मंजूरी देनी पड़ी। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी (जेडपीएससी) के नेता गुरमुख सिंह ने 9 जून को सरकार के साथ हुए समझौते की बाबत बताया कि सरकार ने कृषि मजदूरों की मजदूरी के सवाल पर 5 सदस्य समिति गठित की है। दलित श्रमिकों की मांग है कि कम मजदूरी देने वाले जमींदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो। सरकार ने लाल डोरे के अंदर के मकान पर कब्जा दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही गांव में आवास हेतु प्लाट पर कब्जे के लिए आवेदकों और गांवों की सूची मांगी है और नजूल जमीन के सवाल पर भी आश्वासन दिया है। जमींदारों द्वारा दलितों को कोऑपरेटिव में सदस्य नहीं बनने देने के सवाल पर सरकार ने कहा है कि

वह उन्हें सदस्य बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। 9 जून को जेडपीएससी, पंजाब खेत मजदूर यूनियन, पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब और क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 10000 से अधिक लोग शामिल थे। गुरमुख सिंह ने बताया कि सरकार को जुलाई तक का समय दिया गया है कि वह जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करे। अन्यथा धान की बुवाई के बाद पुनः आंदोलन शुरू होगा।

संगरूर और उसके आसपास के जिलों के गांवों में भूमिहीन दलितों को अप्रैल में खेत से फसल कटते ही अगली फसल की बुआई के लिए संघर्ष में जुट जाना पड़ता है। ताकि जमींदारों की सांठगांठ से बोली लगाने वाले कथित दलितों को नीलामी की प्रक्रिया से दूर रखने, पट्टा भूमि की कीमत कम रहे और जमीनों पर जरूरतमंद दलितों को मिल सके। इस संघर्ष में कई बार जमींदारों के गुंडों व पुलिस की मिलीभगत से हमले भी होते रहे हैं। ऐसा ही एक हमला मई 2016 में हुआ था। पुलिस ने बल्द कला गांव के बाहर पटियाला संगरूर मार्ग पर धरना दे रहे दलित किसानों को निशाना बनाकर अंधाधुंध लाठियां भांजी और फायरिंग की थी। लाठीचार्ज में 14 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने आंदोलन में शामिल 69 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का फर्जी मामला दर्ज कर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थीं। उस समय दिल्ली से जन हस्तक्षेप के एक जांच दल ने घटनास्थल पर जाकर पुलिस अत्याचार और दलितों के जमीन के संघर्ष पर जमींदारों व पुलिस के संयुक्त हमलों का खुलासा करते हुए रिपोर्ट जारी की थी।

पंजाब में पंचायतों की 158000 एकड़ जमीन में से 52667 एकड़ भूमि दलितों के हिस्से की है। जेडपीएससी के नेतृत्व में वर्षों के आंदोलनों ने सरकारों को दलितों को जमीन आधी कीमत पर प्रतिवर्ष नीलामी के आधार पर देने के लिए मजबूर किया है। फिर भी सरकारें उनके स्थाई पट्टा पाने के अधिकार को पूरा नहीं करती। प्रतिवर्ष जमींदारों, पुलिस व सत्ता के दलालों के गठजोड़ से फर्जी नीलामी में डमी उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं। जमीन की रकम भी 20 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ रखी जाती है, जिसे चुकाने में वह असमर्थ रहते हैं। सत्तारूढ़ दल जमींदारों का साथ देते हुए दलितों के कानूनी अधिकार को कुचलने में जुट जाते हैं जिसके लिए उन्हें प्रतिवर्ष संघर्ष में उतरना पड़ता है।

इस वर्ष भी जेडपीएससी के झंडे तले दर्जनों गांवों के हजारों भूमिहीन दलितों ने मई माह में आंदोलन छेड़ा। बीते विधानसभा चुनाव में दलितों के उत्थान और रक्षा के नाम पर सत्ता में आई आप पार्टी की मान सरकार ने भी साबित कर दिया कि वह भी शिरोमणि अकाली दल–भाजपा गठबंधन और कांग्रेस सरकारों की तरह ही गरीब व दलित विरोधी है। 12 मई को समिति ने दलितों के कोटे की पंचायती जमीन कम कीमत पर देने, डमी उम्मीदवारों को रोकने व खेत मजदूरों को धान लगाने की उचित मजदूरी देने की मांग को लेकर संगरूर शहर में विरोध मार्च निकाला और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर प्रदर्शन किया।

जेपीएससी नेता मुकेश मलौद ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती जमीनों से कब्जा छुड़ाने का सरकार सिर्फ तमाशा कर रही है जबकि पंजाब के हजारों गांवों में नाजायज कब्जे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती जमीन के तीसरे हिस्से संबंधी अधिसूचना जो पिछली सरकार ने वर्ष 2018 में जारी की थी। सत्ता में आने के बाद आप पार्टी सरकार ने जमीन की कीमत निर्धारित करने, जमींदारों की तरफ से डमी उम्मीदवारों द्वारा बोली लगाने से रोकने और बोली लगाने का स्थान बदलने जैसी शर्तों को हटा दिया है। साथ ही नजूल जमीन के मालिकाना हक की मांग भी अभी तक पूरी नहीं की गई है, जबकि पंचायती भूमि के स्थाई पट्टे की मांग वर्षों से की जा रही है।

परमजीत कौर और बिक्कर सिंह हथोआ ने कहा कि पंजाब सरकार खेती के मॉडल की बात कर रही है पर गांव में दलित समुदाय के भाईचारे के खिलाफ प्रस्ताव लाकर और दिहाड़ी पर धान लगाने के रेट निर्धारित किए जा रहे हैं। सरकार की यह कार्यवाही उसके दलित विरोधी होने का सुबूत है। जसवंत सिंह, धर्मवीर सिंह और जगतार सिंह ने मांग की कि पंचायती जमीन का तीसरा हिस्सा कम कीमत पर पक्के तौर पर दलित समुदाय को दिया जाना चाहिए। जमीन की बोली सिर्फ एससी धर्मशाला में हो। गांव में दिहाड़ी और धान की बिजाई के रेट को लेकर मजदूरों का बहिष्कार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नजूल जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए। सीलिंग एक्ट लागू कर 1750 एकड़ से अधिक बस्ती जमीन भूमिहीन लोगों में बांटी जाए। साथ ही जरूरतमंद लोगों को प्लॉट आवंटित किए जाएं और लाल डोरे के अंदर आने वाले घरों का मालिकाना हक दिए जाएं।

मुख्यमंत्री आवास पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया था कि 24 मई को मुख्यमंत्री स्वयं समिति के नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से 24 मई की बैठक के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बाद 4 संगठनों ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को समझौता वार्ता में आना पड़ा। 2016 में *जन हस्तक्षेप* के जांच दल को आंदोलन में शामिल एक महिला ने बताया था कि यह लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। इस संघर्ष से कुछ वर्ष पहले तक अधिकांश गांवों में ऊंची जातियों के जमींदार डमी दलितों के नाम पर जमीनें ले लेते थे और आरक्षित भूमि पर खेती करते थे, जब भी पशुओं के लिए चारा लेने के लिए हमको जाना पड़ता था तो अपमान का सामना करना पड़ता था। इस वर्ष भी दर्जनों गांवों में दलितों के लिए आरक्षित जमीन का संघर्ष शुरू हो गया है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं।

पंजाब में पंचायतों की साझा नजूल भूमि को लेकर 1961 में पंजाब ग्रामीण साझा भूमि कानून बना था जिसके तहत सभी पंचायतों को अनिवार्य रूप से साझा भूमि का 33 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित करना होगा। इस कानून का दुरुपयोग किया गया और दलित जाति के छद्म लोगों के नाम पर जमींदार, सरपंच और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनें लेकर उस पर वर्षों तक खेती की जाती रही और असली दावेदारों का हक छीना जाता रहा। जेडपीएससी के नेतृत्व में जब संघर्ष शुरू हुआ तो सामंतों के गुंडों और पुलिस के सामूहिक हमलों के कारण अनेक बार दलितों को अपना खून बहाना पड़ा। पहली बार 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन करनाल सिंह के नेतृत्व में संगरूर के बलादकला गांव के 700 दलितों ने फसल काट कर चुनौती दी। परिणाम स्वरुप जमींदारों ने हमले कर भारी दमन और उत्पीड़न किया। इसके बाद तो जेडपीएससी के नेतृत्व में जमकर संघर्ष हुआ जो अब प्रतिवर्ष दिखाई देता है।

पंजाब में भूमिहीन दलितों का वर्षों से जारी संघर्ष देश के दलित आंदोलन के लिए बड़ा माडल है जिसकी मुख्य ताकत महिलाएं हैं जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए सबसे आगे खड़ी नजर आती हैं। दलित आंदोलन के लिए यह सबसे बड़ा सबक है कि जातीय उत्पीड़न के मुद्दे पर बड़े संघर्ष आर्थिक सवालों को जोड़कर खास तौर पर गांवों व शहरों में छोटे लेकिन गरीब जनता के लिए अहम मुद्दों मसलन जमीन पर अधिकार, मजदूरी बढ़ाने, आवास व शिक्षा के सवालों को शामिल किए बिना लंबे और निर्णायक संघर्ष नहीं चलाए जा सकते हैं। इन मुद्दों पर होने वाले संघर्षों और उसमें मिलने वाली छोटी–छोटी जीत वर्गीय संघर्ष की चेतना को मजबूत करता है।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि प्रतिवर्ष संघर्ष के बाद मिलने वाली जमीन पर खेती संयुक्त रूप से की जाती है। जमीन का किराया सरकार को देने के लिए सामूहिक तौर पर धनराशि एकत्र की जाती है। हालांकि इस सामूहिक खेती में उनको बहुत अधिक आर्थिक लाभ नहीं मिलता लेकिन उन्हें अपने वजूद और खुद के सम्मान के एहसास का लाभ अधिक मिलता है. उदाहरण के तौर पर 200 परिवारों के बीच 15 एकड़ जमीन यदि मिलती है तो प्रति परिवार को वर्ष भर में लगभग 2.50 कुंटल गेहूं, हजार दो हजार रुपए और पशु चारा ही मिलता है, लेकिन भूमि का यह एक टुकड़ा जहां उनकी प्रतिष्ठा का एहसास कराता है, तो उच्च जातियों के जमींदारों के प्रभुत्व को इससे चुनौती ज्यादा मिलती है। गुरमुख सिंह बताते हैं कि पहले दलित जानते थे कि यह जमीन उनकी है लेकिन वह असंगठित और असहाय थे। जमींदारों के खिलाफ जाने से डरते थे क्योंकि आमदनी, भोजन और चारे का वही एकमात्र स्रोत थे लेकिन अब वह संगठित हैं खासतौर पर शिक्षित युवा और महिलाएं संघर्ष में आगे आई हैं।

बुलडोजर राज खत्म करो; फर्जी मुकदमे वापस लो

(पृष्ठ 1 का शेष)

देता है और न ही दे सकता था। उन्होंने जो 'सुधार' किया वह यह कि मुसलमानों पर हमले तेज कर दिए हैं ताकि कोई भ्रम नहीं रहे और यह स्पष्ट हो जाए कि भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ तथाकथित कार्रवाई केवल अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए है।

देश के कई हिस्सों में पैगंबर के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें अत्यधिक बल प्रयोग करके कुचला जा रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के साथ सीएए–एनआरसी–एनपीआर के खिलाफ जन विरोध में शामिल कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। उन्हें इस सरकार के कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करने के लिए दंडित करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। प्रयागराज में 10 जून 2022 को हुद विरोध में भागीदार के रुप में एआईके एमएस के महासचिव का. आशीष मित्तल का नाम झूठे ही जोड़ दिया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन पर हिंसा भड़काने का झूठा आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन ने यह छुपाने की कोशिश भी नहीं की कि सीएए–एनआरसी –एनपीआर के खिलाफ जन विरोध का समर्थन करने के लिए उन्हें दंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा तथ्यों को पूर्ण रूप से नजरंदाज करके किया जा रहा है। कॉ. आशीष 10 जून 2022 को पूरे दिन कोर्ट में रहे क्योंकि उन्हें शांति भंग के खतरे के नाम पर धारा 107 के तहत तलब किया गया था और प्रशासन इस बात से वाकिफ है। प्रयागराज, कानपुर व सहारनपुर में विरोध प्रदर्शन के तथाकथित मास्टरमाइंडों के घर गिरा दिये गये हैं। सरकार ने पितृसत्तात्मक रवैये को भी प्रदर्शित किया जब उन्होंने प्रयागराज में एक कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए उसकी पत्नी के घर को गिरा दिया।

बुलडोजर राज फासीवादियों के शासन के नए चरण का प्रतीक है और यूपी उनके हिंदुत्व के लिए उन्नत प्रयोगशाला के रूप में उभरा है। गुजरात आरएसएस–भाजपा की पहली प्रयोगशाला रहा है। वही योगी सरकार आंदोलन कर रहे किसानों को जान बूझकर कार के नीचे कुचलने के षडयंत्रकर्त्ता केंद्रीय मंत्री 'टेनी' को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर हमले बढ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायपालिका संविधान और देश के कानूनों के तहत लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त काम नहीं करती दिख रही है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमले कानूनों और नियमों को लागू करने के नाम पर किए जा रहे हैं।

इन हमलों को ऐसे समय में तेज किया जा रहा है, जब लोगों की हालत खराब होती रही है। बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने लोगों पर बोझ और बढ़ा दिया है। अस्थिर अंतरराष्ट्रीय स्थिति लोगों की बढ़ती कठिनाइयों में योगदान दे रही है। लोगों के असंतोष के डर से, आरएसएस–बीजेपी पेट्रोलियम उत्पादों पर विशेष उत्पाद शुल्क कम करने के लिए मजबूर हुई है जो उसने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर लगाया था। लेकिन वे लोगों की बढ़ती बेचैनी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे इस बात से भी विचलित हैं कि कैसे आर्थिक कठिनाइयों ने राजपक्षे परिवार के श्रीलंका में सत्ता पर आधिपत्य को ध्वस्त कर दिया, जो सिंहल बौद्ध कट्टरपंथियों के आधार पर फला–फूला था । लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक संभावनाओं को बंद करने के लिए आरएसएस–भाजपा के हमले उनकी हताशा और योजना दोनों को दर्शाते हैं।

ये हमले लोकतांत्रिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के जीवन और आजीविका के अधिकारों की रक्षा के लिए और आम लोगों की आजीविका के साधनों पर हमलों के चिलाफ एक गंभीर लड़ाई की मांग करते हैं। ये हमले इनका विरोध करने वाली सभी ताकतों से एकजुट प्रतिक्रिया की मांग करते हैं; वे भी जो सतत विरोध में रहे हैं और वे भी जो अपने विरोध में दृढ़ नहीं रहे हैं। हमला बहुत गहन और तीव्र है अतः प्रतिक्रिया को हमले के अनुरूप होना चाहिये।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी मुसलमानों की संपत्तियों के विध्वंस की निंदा करती है और बुलडोजर राज को खत्म करने की मांग करती है।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी, एआईकेएमएस के महासचिव कॉ. आशीष मित्तल सहित सीएए–एनआरसी–एनपीआर के विरोध में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे केस किए जाने की निंदा करती है। उनके और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसे झूठे मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग करती हैं।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी सभी ताकतों– राजनीतिक दलों और जन संगठनों और व्यक्तियों – को अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों पर इस क्रूर हमले का विरोध करने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती है। राज्यों के अधिकारों पर हमलों सहित इस फासीवादी हमले के खिलाफ सभी उठें।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी फासीवादी शासकों के हमलों से अपने हितों की रक्षा के लिए लोगों के विभिन्न तबकों के संघर्ष को तेज करने का आह्वान करती है।

(सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमिटी द्वारा 14 जून, 2022 को जारी)

खाद्यान्न सुरक्षा कारपोरेट हवाले: महंगे गेहूं की किसानों से लूट: जनता का आटा गीला

(पृष्ठ 3 का शेष)

किया था कि वह गेहूं खरीद करे। सरकारी खरीद लक्ष्य से कम हुई थी तो पीडीएस में गेहूं वितरण की कमी हो गई जब सरकार ने निजी कंपनियों से गेहूं मांगे तो उसने हाथ खड़े कर दिए। परिणामस्वरूप भारत सरकार को 71 लाख टन गेहूं का आयात करना पड़ा। यह उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयात था। वैसे भी देश जब विश्व बाजार में खाद्यान्न खरीद–फरोख्त करने उतरता है तो वह एक बड़ी घटना होती है जिससे कीमतें अस्थिर हो जाती हैं। उस आयात सौदे की खास बात यह भी थी कि सरकार ने किसानों को दी गई एमएसपी से दुगनी कीमत पर विदेश से गेहूं खरीदा। हालांकि संसद में सरकार पर आरोप भी लगे कि उसने व्यापारियों से मिलीभगत करके कागजों पर ही गेहूं विदेश से आयात कर दुगने भाव पर सरकार को बेचा लेकिन आरोपों को जांच के दायरे में नहीं लाया गया।

गेहूं संकट के कारण देश की खाद्यान्न योजनाओं पर अभी से असर दिखाई पड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने जून माह से रोटी खाने वाले राज्यों को गेहूं के बजाय चावल की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। 1 जून से यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल के गेहूं के पीडीएस कोटे में कमी कर उसके स्थान पर चावल आपूर्ति का फैसला किया है। इसमें से अधिकांश राज्यों का मुख्य भोजन रोटी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन राज्यों का जून से सितंबर माह तक का कोटा समाप्त करने या गेहूं व चावल मिलाकर देने का निर्देश दिया गया है। पिछले वर्ष खाद्यान्न योजना के तहत 446 लाख टन गेहूं वितरित किया गया था। इस वर्ष 305 लाख टन का ही वितरण होगा। मौजूदा स्थिति में इसमें और कमी हो सकती है। साफ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही खाद्यान्न योजनाओं के लिए राशन का कोटा और कम किया जा सकता है। यही कारण है कि चावल को भी प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है।

खाद्यान्नों की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में विशेषतः गेहूं उत्पादन को देखा जाए तो भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं लेकिन वह निर्यातक नहीं हैं क्योंकि दुनिया की लगभग आधी आबादी दोनों देश में रहती है जिसका घरेलू स्तर पर ही उपभोग हो जाता है। इस वजह से रूस सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। दुनिया भर में मक्का के बाद सर्वाधिक उत्पादन और खपत गेहूं की होती है।

एक स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड पापुलेशन रिव्यू के 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं का उत्पादन 76 करोड टन हुआ था। चीन, भारत और रूस कुल उत्पादन का लगभग 41% पैदावार करते हैं। उसके बाद अमेरिका और कनाडा का नंबर आता है। चीन 13 करोड़ 42 लाख 54 हजार 710 टन, भारत 10 करोड़ 75 लाख 90 हजार टन, रूस 8 करोड़ 58 लाख 96 हजार 326 टन, अमेरिका 4 करोड़ 96 लाख 90 हजार 680 टन और कनाडा 3 करोड़ 51 लाख 83000 टन गेहूं की पैदावार करता है। गेहूं के 10 शीर्ष निर्यातक देशों में रूस ने 3 करोड़ 73 लाख, अमेरिका 2 करोड़ 61 लाख, कनाडा 2 करोड़ 61 लाख, फ्रांस 1 करोड़ 98 लाख, यूक्रेन 1 करोड़ 81 लाख, ऑस्ट्रेलिया 1 करोड़ 2 लाख और जर्मनी ने 90 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। भारत कभी निर्यातक नहीं रहा, लेकिन पिछले वर्ष उसने भी 70 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। इस वर्ष भी अब तक हुए सौदों में भारत 66 लाख टन का निर्यात कर चुका है जबकि लक्ष्य 1 करोड़ 25 लाख टन का था।

जलवायु परिवर्तन, कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध ने वास्तव में दुनिया को खाद्यान्न संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। गेहूं ही नहीं पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेलों सहित तमाम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। दुनिया भर में खाद्य मूल्य सूचकांक तेजी से बढ़ा है और 24 फरवरी 2022 से शुरू हुए युद्ध के पहले महीने में ही यह 140.7 अंक पर पहुंच गया। श्रीलंका की हालत सबसे बुरी है लेकिन भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी उत्पादन कम हुआ है। चीन में भी अधिक वर्षा के कारण गेहूं व अन्य कृषि उत्पाद खराब हुए हैं।

कारपोरेट मीडिया खाद्यान्न संकट को गेहूं निर्यात पर रोक के फैसले को अमेरिका और यूरोपीय देशों की नजर से बता कर यह साबित कर रहा है मानो भारत पूरी दुनिया को गेहूं की आपूर्ति करता रहा है और अब उसने रोक लगा दी है। अथवा खाद्यान्न संकट का सबसे बड़ा विलेन रूस है, लेकिन अमेरिका कनाडा और यूरोपीय देशों के गेहूं निर्यात पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं जबकि वह भी बड़े निर्यातक रहे हैं। खबरें गर्म हैं कि दुनिया में अब 70 दिनों का ही राशन बचा है। ऐसे में रूस ने कहा है कि खाद्यान्न संकट की मुख्य वजह उस पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। इस पर पलट वार करते हुए ब्रिटेन ने मास्को पर दुनिया को फिरौती के लिए बंधक बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है।

फिलहाल पूंजीवादी लोन का गुब्बारा फूटने, अमेरिका व यूरोप की विश्व बाजार पर कब्जे की होड़, कॉरपोरेट कंपनियों का बढ़ता बेइंतिहां मुनाफा, ठहरावग्रस्त औद्योगिक उत्पादन, प्रत्येक स्तर पर बढ़ रही बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन के दौर में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सैन्य ताकत और बाजार पर दबदबे के लिए पुनः ताकतवर देश दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। आरएसएस–भाजपा सरकार साम्राज्यवादी देशों का पिछलग्गू बन कर देश को विश्वगुरु की मृग मारीचिका दिखा रही है।

वैश्विक खाद्यान्न संकट में देश वास्तव में दुनिया की खाद्यान्न जरूरतों को पूरी करने में योगदान कर सकता है। उसके पास दुनिया की सर्वाधिक उपजाऊ जमीन, कई मौसम, पानी की उपलब्धता और सभी तरह के आवश्यक खनिज संपदाओं के साथ सबसे बढ़कर विशाल युवा मानव श्रम शक्ति है। इस कारण वह बड़े पैमाने पर कृषि और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता रखता है। अपने संसाधनों के न्याय पूर्ण बंटवारे और वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए वह शक्तिशाली देश बन सकता है। इसके लिए जरूरी है भूमि सुधारों को लागू करना, क्योंकि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर जमीनें चंद लोगों के पास अर्धसामंती सम्बंधों में जकड़ी पड़ी हैं, जिनका खेती उत्पादन में उचित इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा कृषि योग्य लेकिन बेकार पड़ी जमीनों को विकसित करना, कृषि की लागत कम करना और किसानों को खाद, बिजली, बीज की सुविधा दी जाए तो वास्तव में दुनिया का पेट भरने की पीएम मोदी की गलथेथरई हकीकत बन सकती है।

'NEP–2020 के तहत उच्च शिक्षा' विषय पर अखिल भारतीय सम्मेलन

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच (AIFRTE) की दिल्ली समन्वय समिति (पी॰डी॰एस॰यू॰ इसमें सक्रिय भागीदार है) द्वारा गांधी शांति प्रतिष्ठान में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत उच्च शिक्षा' विषय पर अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नेप2020 के साथ साथ उसके लागू किये जाने के प्रभावों पर चर्चा की गई व इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन खड़ा करने पर विमर्श हुआ। डेड़ सौ से अधिक भागेदारों में छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।

इसमें एफ॰वाई॰यू॰पी॰ (चार वर्षीय स्नातक कोर्स), सी॰यू॰ई॰टी॰ (केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा), यू॰जी॰सी॰एफ॰ (स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा) पर विशेष चर्चा की गई। यू॰जी॰सी॰एफ॰ पहले 3 सेमेस्टर तक सामान्य पाठ्यक्रम चलाने की बात करता है जो स्कूली शिक्षा पर आधारित होगा अर्थात पहले वर्ष में सर्टीफिकेट कोर्स वाले कुछ नया नही सीखेगें। नेप2020 शिक्षा को मुख्यतः कौशल विकास तक सीमित करता है तथा आम लोगों के लिये ऑनलाइन शिक्षा का ही विकल्प छोड़ता है। यह नीति शिक्षा के कारपोरेटाइजेशन व आम छात्रों को शिक्षा से बेदखल करने व साथ में आर॰एस॰एस॰ के हिंदुत्व एजेण्डा को लागू करने की नीति है। संघीय ढांचे को एकदम नकारती यह नीति केंद्रीय नियंत्रण को और मजबूत करने की ओर जाती है।

AIFRTE के कार्यकारी सचिव डॉ. विकास गुप्ता ने सम्मेलन का परिचय दिया। उद्घाटन सत्र में प्रो॰ सतीश देशपांडे (समाजशास्त्र , दिल्ली विवि) व प्रो॰ जी हरगोपाल (हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर) और प्रेसिडियम सदस्य, AIFRTE ने की नोट भाषण दिये। उन्होंने 'विशेषण बनाम क्रियाः NEP 2020 की आगामी त्रासदी' विषय पर अपनी बात रखी कि NEP–2020 की भाषा अलंकारिक शब्दों से बुनी हुई है, लेकिन भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए NEP में कुछ भी नहीं किया गया है। एफ॰वाई॰यू॰पी॰ व इसके मल्टिप्ल एंट्री–एक्सिट सिस्टम से ड्रॉप आउट को मदद मिलेगी। प्रो. हरगोपाल ने इससे बढ़ती असमानता, इसके कारपोरेट परस्त व ब्राह्मणवादी मूल्यों पर चिंता व्यक्त करी। इस सत्र के अगले वक्ता का॰मृगांक (AIFRTE) ने NEP–2020 की पृष्ठभूमि और उद्देश्य पर वक्तव्य रखा और कहा कि NEP–2020 विश्व व्यापार संगठन के विजन (GATS) के उद्देश्यों और आरएसएस के साम्प्रदायिक, फासीवादी एजेंडे को लागू करने वाला दस्तावेज है। पिछली सरकारों ने भी इसी तरह के बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध के कारण वे ऐसे नियमों को लागू नहीं कर पाए। यह सरकार जन विरोध को दबाने के लिए 'राष्ट्रवाद' का इस्तेमाल करती है ताकि पूंजीपतियों के हित में शिक्षा को ढालती रहे, साथ ही साथ शिक्षा में संघ के भगवाकरण के एजेंडे को भी शामिल करती रहे। सत्र के अंतिम वक्ता सुरजीत मजूमदार (JNU में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर) ने NEP–2020 को 'एक पत्थर से कई पक्षियों को मारने' का प्रयास बताया।

अगले सत्र में मिनाती पंडा ने नेप 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में भाषा और ज्ञानीय न्याय के सवाल पर बात रखी। उन्होंने कहा कि नेप में भाषाई हिस्सा बहुत काल्पनिक और शब्दाडंबरपूर्ण है जोकि नीति की वास्तविक नियत पर सवाल खड़े करता है। जोगा सिंह (पूर्व प्रोफेसर, भाषा विज्ञान, पंजाब विश्व विद्यालय, पटियाला) ने NEP–2020 भाषा के सवाल पर बात रखते हुए कहा कि ये एकदम तर्कहीन है व मातृभाषा मे शिक्षा पर कोई जोर नही देता। मधु प्रसाद (प्रवक्ता, AIFRTE) ने शिक्षा के डिजिटलीकरण पर अपनी बात रखी। प्रो० अपूर्वानंद (प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) ने गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को थोपे जाने पर बात रखी। इस सत्र में अन्य वक्ता थे चतुरानन ओझा (प्रोफेसर, स्वामी देवानंद PG कॉलेज, देवरिया, यूपी), सरोज गिरी (प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय, लक्ष्मण यादव (प्रो० हिंदी विभाग, जाकिर हुसैन कॉलेज), मृत्युंजय (प्रोफेसर, समाजशास्त्र, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार)।

अगले सत्र में का॰ शम्सुल इस्लाम (पूर्व प्रोफेसर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय; निशांत नाट्य मंच) ने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार NEP–2020 एक तरह से गुरु द्रोणाचार्य की वापसी का प्रतीक है। मौजूदा सरकार देश में उस ब्राह्मणवादी युग को वापस ला रही है, जहाँ द्रोणाचार्य जैसे लोग एकलव्य का अंगूठा छीन रहे थे। इसका बिल्कुल सीधा अर्थ है कि दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। उन्होनें ओजपूर्ण गीतों से सम्मेलन में जोश भर दिया। इनके अतिरिक्त प्रो० नंदिता नारायण (पूर्व अध्यक्ष DUTA), आभा देव हबीब (प्रोफेसर भौतिक विज्ञान, मिरांडा हाउस) माया जॉन (प्रोफेसर, इतिहास, जीसस एंड मैरी कॉलेज), शिवानी नाग (प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली) प्रो० शिखा कपूर (जामिया टीचर्स एसोसिएशन) ने भी बात रखी।

प्रो॰ जगमोहन सिंह (अध्यक्ष, AIFRTE; निदेशक, शहीद भगत सिंह क्रिएटिविटी सेंटर, लुधियाना) ने अपने वक्तव्य में कहा कि NEP–2020 ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का सीधा उल्लंघन है। स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, ऐसी आज़ादी के लिए जहां सभी को शिक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को बनाए रखना और असमानता दूर करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज इस शिक्षा नीति के द्वारा हम जो होता देख रहे हैं वो उस सपने के ठीक विपरीत है जो क्रांतिकारियों ने देखा था।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

देह व्यापार में शामिल महिलाओं के संबंध में हाल के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर एक टिप्पणी

पूनम

हाल ही में देह व्यापार करने वाली महिलाओं जिन्हें सेक्स वर्कर के नाम से संबोधित किया जा रहा है के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। मामले पर जुलाई माह में अगली सुनवाई होनी है। वर्तमान दिशा निर्देश वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए एक पैनल, जिसमें कुछ वरिष्ठ वकील एवं सेक्स वर्कर्स के कुछ संगठन थे, से सुप्रीम कोर्ट ने सारतः निम्न आशयों पर अपनी रिपोर्ट सौंपने एवं सिफारिशें करने के निर्देश दिए थे।

1. देह व्यापार ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए।

2. सेक्स वर्कर – जो सेक्स वर्क छोड़ना चाहते हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था।

3. सेक्स वर्कर – जो इसमें बने रहना चाहती हैं उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीवन के अनुसार सम्मान पूर्वक इस में बने रहने की परिस्थितियां उपलब्ध करवाने के संबंध में अपनी सिफारिश देना।

2016 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार ने बताया कि पैनल की सिफारिशें मिल गई हैं और एक मसविदा कानून तैयार हो रहा है। जब तक सरकार कानून नहीं बनाती तब तक ये निदेश ही कानून होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वे केवल सेक्स वर्कर के पुनर्वास और उससे जुड़े मुद्दों से ही संबंधित है। (हालांकि पूरे निर्देशों में पुनर्वास की कोई बात ही नही है)। पैनल ने सेक्स वर्कर जो इसमें बने रहना चाहती हैं उन्हें सम्मानपूर्वक इसमें बने रहने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के संदर्भ में 9 सिफारिशें की थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने को कहा है ।

उन सिफारिशों का सार है यदि सेक्स वर्कर व्यस्क है और अपने मर्जी से देह व्यापार कर रही हैं तो पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी, यदि सेक्स वर्कर अपने ऊपर यौन हिंसा की शिकायत करती है तो पुलिस उसकी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करेगी, देह व्यापार का अड्डा चलाने वालों पर कार्रवाई होगी ना कि अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं पर। इटपा (इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट) के तहत चल रहे सभी संरक्षणालयों का सर्वे किया जाए और जिन महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ उसमें रखा गया है उन्हें वहां से हटाने के समयबद्ध उपाय किए जाएं, पुलिस को इस बात के लिए संवेदनशील बनाया जाए कि इस व्यापार में लगी महिलाओं के भी मानवीय और संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, प्रैस काउंसिल से भी इस तरह के मामलों की रिपोर्टिंग के समय सेक्स वर्कर की पहचान उजागर न करने इत्यादि समेत कई पहलुओं की ओर ध्यान देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया। देह व्यापार में संलिप्त लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य के बचावात्मक उपायों को लेना अपराध न माना जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार इनके संगठनों को निर्णय निर्धारण प्रक्रिया या नीति निर्माण के समय इनको विश्वास में ले। इन्हें कानूनी अधिकारों का उपयोग प्राप्त हो सके इसके लिए नालसा द्वारा उचित कदम उठाए जाए। किसी भी सेक्स वर्कर के बच्चे को उससे अलग नहीं किया जाए सिर्फ इस आधार पर कि मां देह व्यापार में है। किसी नाबालिग को सेक्स वर्कर के साथ या देह व्यापार के अड्डे पर पाए जाने को ही यह न माना जाए कि वह देह व्यापार में धकेला गया है यदि सेक्स वर्कर कहते हैं कि वह उसका अपना बच्चा है तो उचित वैज्ञानिक जांच करवाई जाए बच्चे को अलग नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिफारिशें सरकार को स्वीकार्य हैं वे तुरंत कड़ाई से लागू की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है और वह इस बात का फर्क नहीं करता है कि कौन किस पेशे में है इसीलिए संवैधानिक संरक्षण सभी व्यक्तियों को है।

पैनल द्वारा की गई तथा सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत पुलिस उत्पीड़न, प्रेस काउंसिल, बच्चों के संदर्भ में की गई सिफारिशें ठीक हैं। परंतु प्रश्न पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने का है। पुलिस को संवेदनशील होना होगा कह देना ही काफी नहीं है। क्या वरिष्ठ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी? पुलिस को समाज के किसी भी तबके को उत्पीड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। देह व्यापार संचालित करने वाले तत्वों से यदि पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई तो पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? दलितों, यौन हिंसा की पीड़ित महिलाओं, घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के प्रति पुलिस की "संवेदनशीलता" लगातार हमारे सामने आती ही है!

चुनने या स्वेच्छा पर एकतरफा जोर देने के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावी आर्थिक पुनर्वास पैकेज, इनके बच्चों की राजकीय खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्देश देने चाहिएं। आज अर्धसामंती भारत में जहां महिलाओं को चुड़ैल के नाम पर मार दिया जाता है, विधवा शोषण जारी है, महिलाओं के वेतन में फर्क है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न चाहे कार्यस्थल अदालत ही क्यों ना हो, आरोपियों को कुछ नहीं होता। देह व्यापार में महिलाओं का एक संभवतः बहुत छोटा सा ही तबका होगा जो स्वेच्छा से इस में रहना चाहता है। इन महिलाओं के पुनर्वास की बात करते ही कुछ बुद्धिजीवी व सेक्स वर्कर यूनियन इस समझ को नैतिकता के आधार पर स्वेच्छा पर हमला मान लेती हैं। देह व्यापार की स्वेच्छा असल में स्वेच्छा को बहुत तुच्छ बना देना है। प्रश्न देह व्यापार के नैतिक अनैतिक होने का नही है। प्रश्न स्त्री देह को एक वस्तु की तरह बेचे जाने का है। अनैतिक कहते हुए भी वर्ग समाज इसे जिंदा रखता है और पोसता है और बाजार की संस्कृति स्त्री देह को बेचने की वस्तु बनाते हुए स्त्री को स्वयं इसे बेचने की स्वतंत्रता देकर इस पर ,"आजादी" का झूठा आवरण चढ़ाती है। प्रभाव दोनो का एक ही है महिला को उपभोग की वस्तु बनाना। सेक्स वर्क करते रहना चाहने वाली महिलाओं के लिए सम्मानजनक परिस्थिति उपलब्ध करवाना, इस आशय से दी गईं सिफारिशों के बहुत अधिक दूरगामी व

(शेष पृष्ठ 8 पर)

"अग्निपथ" योजना से बेरोजगारों में उबाल!

बेरोजगारी की बिगड़ती स्थिति में सेना की लड़ाकू इकाइयों में पहुंचा ठेकाकरण

सेना में चार साल के लिए ठेके की नौकरियों की घोषणा के खिलाफ सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पढ़े–लिखे युवा सड़कों पर उतर आए। चार साल पूरा होने पर इनमें से केवल एक चौथाई को सेना में शामिल किया जाएगा। बेरोजगारी आसमान छू रही है (युवा बेरोजगारी लगभग 26 प्रतिशत) और सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई ढंग की नौकरी नहीं है (इनमें से अधिकांश ठेके पर)। शिक्षित युवाओं की सेना में भर्ती के जरिये सुरक्षित रोजगार मिलने की उम्मीद को एक तगड़ा झटका लगा और वे पुलिस के दमन के बावजूद विरोध में उतर आए। यह धमाका होना ही था। इसने सरकार की नियत अवधि के रोजगार तथा ठेकाकरण नीति को चुनौती दी है जो अब सेना की लड़ाकू इकाइयों तक भी पहुंच गई है। बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षित युवा इस विरोध में हिस्सेदारी कर रहे हैं। इस विरोध का हम समर्थन करते हैं।

केंद्र सरकार ने तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ भयंकर आर्थिक संकट है। इस की ओर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आर.एस.एस.–भाजपा सरकार अपने उग्र मुस्लिम विरोधी एजेंडा को हवा देने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। वे इस तेज खतरे से अवगत हैं कि गहराता आर्थिक संकट, जिससे जनता संघर्ष में उतर सकती है, उनकी हिंदुत्व योजना को खतरे में डाल सकता है जैसे कि श्रीलंका में सिंहली कट्टरपंथियों को उखाड़ दिया जा रहा है। यह योजना – अग्निपथ– सरकारी खर्च में कटौती का उपाय है और चार साल के भर्ती किये जाने वाले – अग्निवीर– ठेके के लड़ाके। नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के कई नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि इस योजना से सैन्य कर्मियों, उनकी पेंशन और उनके चिकित्सा और शैक्षिक लाभों पर खर्च में कटौती करके सशस्त्र बलों के 'आधुनिकीकरण' (ज्यादातर विदेशों से उपकरण खरीदना) के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो सकेगा।

जीडीपी में औद्योगिक उत्पादन के हिस्से में लगातार गिरावट हो रही है तथा बेरोजगारी बहुत अधिक है, महंगाई कमर तोड़ रही है, दुनिया में खाद्यान्न का संकट है, सभी सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री के लिये कुछ ही खरीदार हैं और विदेशी निवेश की कोई भरमार नहीं है। साथ ही भाजपा का पांच साल के लिए प्रति वर्ष बीस मिलियन नौकरियों का चुनावी वायदा है जबकि बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं।

इस स्थिति में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 10 लाख खाली सरकारी पद 18 महीने में भरे जाएंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह पक्का रोजगार होगा या नहीं। आंकड़ों के अनुसार 60 लाख से अधिक स्वीकृत सरकारी नौकरियां खाली हैं, हालांकि यह संख्या 1 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। सरकार विभागों, संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी आई है और अधिकांश महकमे ठेका मजदूरों से भरे पड़े हैं। सरकार श्रमिकों को सभी लाभों से वंचित करने की कोशिश कर रही है, और सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में भी मजदूरों को बस न्यूनतम वेतन तक ही सीमित करा जा रहा है।

रोजगार की ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। सरकार की ओर से इसे युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन सरकार के सिर पर बेरोजगारी की हंडिया फूट गई है और गुस्साए युवा सड़कों पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 16 जून को 10 से ज्यादा राज्यों में हड़कंप मच गया है। बिहार में व्यापक रूप से, और पलवल और हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी युवा भड़क उठे, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में – बुलंदशहर, गोंडा, मेरठ, उन्नाव और बलिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल पंजाब और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन फूट रहे हैं। बिहार में रेलवे सहित सरकारी कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुए और नवादा, सिवान, छपरा, आरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, गया, भभुआ और अन्य जिलों में रेलवे स्टेशनों को घेरा गया। विरोध दूसरे राज्यों में और जिन राज्यों में पहले से ही विरोध प्रदर्शनों चल रहे है उनके अन्य क्षेत्रों में फैल रहा है। 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रुप से घायल हैं। आरएसएस–बीजेपी के नेता तथा कार्यालय भी इस गुस्से का निशाना बनते जा रहे हैं।

अग्निपथ योजना

केंद्र सरकार ने 1.38 मिलियन संख्या वाले सशस्त्र बलों के लिए इस नई भर्ती योजना की घोषणा की है। यह मौजूदा भर्ती योजनाओं की जगह लेगा। इस साल साढ़े 17 से 21 साल की उम्र और 10वीं पास करने वाले 46,000 युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्हें छह महीने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, और साढ़े तीन साल तक रखा जाएगा। उन्हें पहले साल रु० 30,000 प्रतिमाह, दूसरे साल 33,000 प्रति माह, तीसरे साल 36,500 प्रति माह तथा चौथे साल 40,000 रुपये वेतन मिलने का प्रावधान किया गया है और सेवा के दौरान चिकित्सा लाभ मिलेगा। चार साल के अंत में, तीन चौथाई लोगों को 11.77 लाख का पैकेज (सेवा निधि) देकर सशस्त्र बलों से बाहर कर दिया जाएगा। इस पैकेज का आधा हिस्सा उनके वेतन से काटी हुई निधि होगी। उनके वेतन से 30 प्रतिशत इस मद में काटा जायेगा अर्थात उन्हें पहले वर्ष रु० 21,000 प्रति माह मिलेगा, दूसरे वर्ष रु० 23.100 प्रतिमाह मिलेगा, तीसरे वर्ष रु० 25,550 प्रति माह मिलेगा तथा चौथे वर्ष रु० 28,000 प्रति माह मिलेगा। 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र व अधिकतम 21 वर्ष की आयु में के साथ कोई बिना किसी पेंशन, किसी ग्रेच्युटी के सड़क पर वापस। सरकार कह रही है कि यह आपको 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र दे सकती है और कुछ लाख के से उद्यमी पैदा होने वाले हैं! जैसे ही आंदोलन तेज हुआ, सरकार ने अधिकतम आयु 21 वर्ष से 23 वर्ष तक बढ़ा दी क्योंकि पिछले दो वर्षों में कोविड के नाम पर कोई भर्ती ही नहीं हुई थी। परीक्षाओं को बार–बार स्थगित किया गया है और अब भर्तियां खत्म करने की इस घोषणा ने युवाओं के गुस्से को और बढ़ा दिया है। ये युवा पिछले कई सालों से इन भर्तियों के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने जल्दी से ''मिथक और तथ्य'' नाम की एक पुस्तिका भी जारी की जो इन चिंताओं को दूर नहीं करती है।

लेकिन यह छिप नहीं सकता कि एक तरफ यह एक साथ तीनों सेनाओं के निचले रैंकों के ठेकाकरण (नियत अवधि की नौकरी) के लिए एक योजना है। दूसरी ओर, यह सरकार को बड़ी संख्या में पेंशन भुगतान से बचाने के लिए किया जा रहा है। तीसरा, यह हथियारों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के साथ–साथ समाज के सैन्यीकरण के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है। इसका उपयोग आरएसएस की सशस्त्र कतारों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें वैसे भी हथियारों के उपयोग में खुले तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह माफियाओं द्वारा शोषण के लिए सशस्त्र कर्मियों को प्रदान कर सकता है। उनका प्रशिक्षण अन्य रास्तों को भी अपना सकता है।

जहां युवावस्था में युवा बेरोजगार होने से भड़क रहे हैं रहे हैं, वहीं दूसरी आलोचनाएं भी हैं। सरकार मुखर रूप से इन्कार कर रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं मान पा रहा है कि यह सेना को समरूप बनाने का एक प्रयास है जबकि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सेना में विशेष रेजिमेंट हैं। बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों की आलोचना है कि यह ठेकाकरण बलिदान, जोखिम लेने की भावना को कमजोर कर देगा। छह महीने का प्रशिक्षण अपर्याप्त है और अधिकारियों को आधे–अधूरे रंगरूटों से निपटना होगा। पिछले दो साल और आगे चार साल सानी छः सालों तक सेना में कोई नियमित भर्त्ती नही होगी। आरएसएस–भाजपा अलग–अलग संस्थानों को निशाना बनाते रहे हैं और अब सशस्त्र बलों की बारी आई है।

व्यापक मांग है कि इस योजना को रद्द किया जाए और पहले की तरह नियमित भर्तियों को फिर से शुरू की जाएं। सरकार फुसला भी रही है और डण्डे भी चला रही है। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि वह अपनी पुलिस सेवाओं के लिए इस योजना के तहत बाहर किए गए युवाओं में से भर्ती करेगी। इस तरह की अन्य घोषणाएं भी होंगी। लेकिन युवाओं को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि रोजगार के अवसरों का ठेकाकरण करने और वेतन को कम करने के साथ–साथ कुछ बची–खुची सुरक्षित नौकरियों और पेंशन दायरे के रोजगार को और कम करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। युवा जानते हैं कि खासकर आम पढ़े–लिखे युवाओं के लिए रोजगार के दूसरे रास्ते बंद हैं।

सरकार के इस कदम को पीछे हटाने के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है। शासकों की इस नीति को चुनौती देने के लिए एक व्यापक संघर्ष के निर्माण में युवाओं का समर्थन किया जाना चाहिए।

(सी०पी०आई (एम०एल०)–न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 17 जून, 2022 को जारी वक्तव्य)

सुप्रीम कोर्ट ....

(पृष्ठ 7 का शेष)

महिला विरोधी परिणाम होगें। एक राय यह भी है कि सेक्स वर्क कम वेतन पा रहे खेत मजदूर, घरेलू आया, निर्माण मजदूर के काम जैसा ही है। इस समझ से सहमत नहीं हुआ जा सकता। यह घोर मजबूरी को तार्किक ठहराने वाला कुतर्क ही है। गरीबी, महिलाओं विधवा, परित्यक्ता महिलाओं का सामाजिक स्तर उन्हे देह व्यापार में धकेलता है।

सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है समाज में जो शोषण के स्वरूप हैं उन्हें समाप्त करने की ओर कुछ ठोस कदम उठाए जाने को सुनिश्चित करना। सर्वोच्च न्यायालय सरकारों को महिला मजदूरों को पक्की नौकरियां उपलब्ध करवाने, सभी महिलाओं को निशुल्क शिक्षा, सभी महिलाओं को नौकरियों, पदोन्नति के समान अवसर की नीतियां बनाने के निर्देश दे सकता है।

NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षा

(पृष्ठ 7 का शेष)

इसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों ने अपनी बात रखी, जिसमे पी.डी.एस.यू. की ओर से का. विशाल ने बात रखी। इसमें फ.वाई.यू.पी., सी.यू.ई.टी. यू.जी.सी.एफ. व नेप202 के खिलाफ व्यापक संघर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। आम चर्चाओं से निकले संघर्ष के बिंदुओं व कदमों को अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच दिल्ली समन्वय समिति बैठक में ठोस रूप दिया जाएगा।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार